

25 जुलाई, 2025

25th July, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

मेसर्स स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में आदेश

आईआरडीएआई ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 (1) और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2023 के अधीन स्थापित विभिन्न उल्लंघनों के लिए तीन करोड़ उनतालीस लाख रुपये का जुर्माना और चेतावनी दी है।

स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 25 जुलाई, 2025

Press Release

Order in the matter of M/S Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.

IRDAI in exercise of the powers under Section 14 (1) of the IRDA Act, 1999 and Section 102 of the Insurance Act, 1938, has imposed a penalty of Rs. Three Crore Thirty-Nine Lakhs and warning for various violations established under IRDAI Information & Cyber Security Guidelines, 2023.

Place: Hyderabad

Date: 25th July, 2025